भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4781
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं

4781. श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और उपचार के अभाव के कारण पीड़ित गरीब लोगों की संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है;
(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय लोगों, विशेषकर लालगंज और आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति/योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों को उक्त नीति के अंतर्गत जारी निधि प्राप्त नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) : स्वास्थ्य राज्य का विषय है , इसलिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (उत्तर प्रदेश सहित) को उनकी जन स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताओं और उनकी कमी के आधार पर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में की जाने वाली पहलों का प्रस्ताव करने की छूट प्रदान की जाती है और इस प्रकार स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जाता है। इन पहलों में अवसंरचना, मानव-संसाधन, निदान, उपकरण और दवाओं के लिए सहजता शामिल हो सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य को आवंटित संसाधन क्षमता के भीतर इन प्रस्तावों की समीक्षा करता है और अनुमोदन प्रदान करता है।

31 मार्च 2023 तक, उत्तर प्रदेश में 25,723 ग्रामीण उप केंद्र (एससी), 3,055 ग्रामीण और 598 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), और 939 ग्रामीण और 11 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 125 जिला अस्पताल (डीएच) और 46 मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

एनएचएम के तहत लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, राज्य गरीब लोगों सहित नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

(ख) : सरकार ने सभी लोगों को किफायती, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा एनएचएम और अन्य योजनाओं के माध्यम से जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य नीति 2017 तैयार की है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लालगंज और आजमगढ़ संसदीय क्षेत्रों में 100 बिस्तरों वाला संयुक्त अस्पताल, लालगंज, तरावा, अतरौलिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव, तरावा, बरदह, फूलपुर, अतरौलिया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा कार्यशील हैं, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों को विभिन्न रोगों के उपचार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक केंद्र द्वारा जारी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**	**पीएम-एबीएचआईएम**	**15वां वित्त आयोग**
1.	2021-22	3235.46	124.63	1829.06
2.	2022-23	5133.59	173.71	607.00
3.	2023-24	4928.14	247.96	-

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश (यूपी) सहित देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले सभी रोगियों को आवश्यक गुणवत्ता वाली जेनेरिक नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताए गए अनुसार, यूपीएमएससीएल मांग के अनुसार राज्य भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए दवाओं की केंद्रीकृत खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, राज्य ने प्रत्येक सुविधा केंद्र के लिए अपनी स्वयं की आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) भी अधिसूचित की है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय " **निःशुल्क दवा सेवा पहल (एफडीएसआई) "** के अंतर्गत सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है । भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) ईडीएल के अनुसार प्रत्येक स्तर के सुविधा केंद्र के लिए अनुशंसित दवाओं की संख्या में एएएम-एसएचसी में 106 दवाएं , एएएम-पीएचसी में 172 दवाएं , सीएचसी में 300 दवाएं , एसडीएच में 318 दवाएं और डीएच में 381 दवाएं शामिल हैं ।

*****